



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: /अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 05/11/2014

1762

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की छठवीं\* बैठक मंगलवार, दिनांक 28.10.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	—	सदस्य
7. डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
10. डॉ. के.एन. बापट	—	सदस्य
11. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
12. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
13. प्रो दिनेश मारोटिया	—	सदस्य
14. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
15. श्री शिवरतन शर्मा	—	सदस्य
16. श्री नवीन मारकण्डेय	—	सदस्य
17. श्री सत्यनारायण शर्मा	—	सदस्य
18. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

## कार्यवृत्त :

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण प्रोफेसर डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय एवं प्रोफेसर डॉ. एस.सी. नैथानी का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 18.09.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त संबंधी आगामी प्रकरणों पर विस्तृत जानकारी अवश्व दी जावे।

04. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने का देयक रु. 12,32,000.00 (बारह लाख बत्तीस हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने के फलस्वरूप प्राप्त देयक रु. 12,32,00.00 (रुपए बारह लाख बत्तीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

05. डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

“डॉ. बी.के. मेहता निलंबन की तिथि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति के दिनांक 31.12.2008 तक निलंबित रहे हैं और इस प्रकार 06 वर्षों से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस स्थिति में अब अग्रिम जांच करना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है और डॉ. बी.के. मेहता जिनकी आयु, अब लगभग 68 वर्ष हो गई है, के विरुद्ध यदि जांच की जावेगी तो उन्हें वृद्धावस्था में मानसिक प्रताड़ना भी होगी। ऐसी स्थिति में उनकी निलंबन अवधि पर No work no pay का निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाकर, निलंबन अवधि का किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते हुए सेवानिवृत्त दिनांक पर नियमानुसार उनका वेतन निर्धारित कर, पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जावे।”

06. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।



07. संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करते हुए नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR शीट मुद्रण एवं ऑनलाइन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR Sheet मुद्रण एवं ऑनलाइन कार्य (पुनर्मूल्यांकन एवं नामांकन को शामिल करते हेतु) सत्र 2014 की परीक्षा के लिए आदेशित फर्म, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर से पूर्व निर्धारित दर पर कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

09. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मोसी को यू.जी.सी. के द्वारा रमन फेलोशिप पोस्ट डॉक्ट्रल स्टडीज के लिए प्राप्त राशि रु. 22,86,836.00 को अग्रिम प्रदान करने के निवेदन पर विचार करना।

निर्णय : प्रकरण पर SBI-SME ब्रांच रायपुर से जानकारी लेकर, अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

10. मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013-14 की नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग की समस्त कार्यों की सम्पादन हेतु देयक रु. 26,01,123.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013-14 के नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग के समस्त कार्यों के सम्पादन उपरान्त प्राप्त देयक रु. 26,01,123.00 (रु. छब्बीस लाख एक हजार एक सौ तेइस मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक सूची :

01. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।





02. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 का अनुमोदन किया गया।


03. NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण न्यूनतम दर रु. 25873750.00 पर क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।


निर्णय : NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण क्रय करने के संबंध में मेसर्स, **BRUKER BIOSPIN AG Industriestrasse 26, CH-8117 Faellanden (Switzerland)** द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रु. 2,58,73,750/- (रुपए दो करोड़ अठावन लाख तिरहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. सत्र 2006-09 तक की उपाधि में कुलपति के **Digital/ Facsimile Signature** के द्वारा उपाधि प्रदान किये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक 1763/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक 05/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कुलसचिव